2017/00456

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज डॉ. शीला उम्मन द्वारा मूला भारती लेडी एल्गिन स्कूल के सामने पुरानी जेल रोड़, बीकानेर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.),बीकानेर किस्म मुकदमा प्रथम सूचना अपील संख्या 248 / 17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

: निर्णय :

13.12.17

1. अपीलार्थी हाजिर नहीं। विभागीय प्रतिनिधि की पूर्व पेशी पर बहस सुनी गई।

2. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक 28.08.17 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर से चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि ने अपने जवाब पत्रांक 1693 दिनांक 23.10.17 में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा के पत्रांक 11102 दिनांक 18.9.17 से प्राप्त सूचना प्रतिलिपि शुल्क प्राप्त कर दिनांक 19.9.17 को अपीलार्थी को व्यक्तिगत रूप से सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये गये है। सूचना प्रदान करने में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

4. अपीलार्थीया द्वारा लिखित आपति पेश की गई कि उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है, बल्कि अन्य सूचना दी गई है। अपीलान्ट ने क्वाटर खाली करने की पत्रावली मांगी थी, जो नहीं दी गई। जो पत्राचार की प्रतियां दी गई है वह नर्स दुर्गा से संबंधित है, जो अपीलार्थीया द्वारा मांगे ही नहीं गये थे। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर वांछित सूचना दिलवाई जावे।

5. इसके विपरीत प्रत्यर्थी की और से विभागीय प्रतिनिधि आपति का खण्डन करते हुए कथन किया कि कार्यालय रेकर्ड में उपलब्ध सूचना अपीलार्थी को दिनांक 19.9.17 को व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करवा कर दी गई है। उपलब्ध करवाई गई सूचना के अतिरिक्त अन्य रेकर्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थीया द्वारा वांछित सूचना उन्हें कार्यालय में उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार सुपुर्द की जाचुकी है। अपीलार्थीया को पृथक से कोई सूचना चाहिए तो वह नियमानुसार पृथक से आवेदन करने को स्वतन्त्र है।

7. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 13.12.17 को लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर

प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर